

- संशोधित आदेश -

(रिमाण्ड ड्यूटी अक्टूबर 2020)

मैं महावीर महावर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता हूँ कि माह अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में अंकित अवकाश के दिन धौलपुर जिला की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों (जिनमें जमानत, रिमाण्ड ड्यूटी, धारा 164 द.प्र.सं. के बयान, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य होंगे) से संबंधित मामलों की सुनवाई कॉलम संख्या 3 में न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी जिनका नाम कॉलम संख्या 4 में अंकित है करेंगे :-

क्र.सं.	दिनांक अवकाश	मजिस्ट्रेट न्यायालय धौलपुर न्यायक्षेत्र	पीठासीन अधिकारी का नाम व मोबाईल नम्बर
1.	24, 25, 26 अक्टूबर 2020	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर(राज.)	श्री अभिषेक कुमार, मो. 9887718685
2.	30 अक्टूबर 2020	अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1, धौलपुर (राज.)	श्रीमती शिखा सिंघल, मो.9460294176

नोट:-

(1) अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय प्रातः 11:00 बजे से सांय 02:00 बजे तक रहेगा। उक्त दिनांक के राजकीय अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य के लिये अधिकृत अधिकारी के कार्यालय में बैठने के समय के अतिरिक्त भी उक्त दिनांक के साथ-साथ आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्य दिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) निर्धारित समय में आवश्यक फौजदारी कार्यों के प्रार्थनापत्र अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश न करने एवं अधिकृत अधिकारी के निवास पर मुल्जिमों को पेश करने पर सम्बन्धित पुलिस कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में मुल्जिमों को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवा कर बाहर रखा जावे एवं संबंधित अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोविड-19 महामारी रोकथाम हेतु जारी परिपत्रों के निर्देशानुसार पीठासीन अधिकारी अपनी सुविधानुसार न्यायालय कार्मिकों को उपस्थित रखेगा।

(3) तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।

-sd-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

क्रमांक

893-902

दिनांक : 23-10-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर को सादर।
- श्रीमान् सचिव, श्रीमान् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर
- अति० मुख्य न्यायिक मजि० धौलपुर/संख्या-1/संख्या-2/सं.3 बाड़ी
- न्यायिक मजि० धौलपुर/बाड़ी/राजाखेड़ा
- ग्राम न्यायालय बसेडी।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1, /न्यायिक मजि.सं.2 धौलपुर/सं.3 धौलपुर
- श्री चेतन गोयल R.J.S./ श्रीमती गुंजन गोयल R.J.S./श्री नीरज मित्तल R.J.S./श्री अभिषेक कुमार R.J.S. / श्रीमती शिखा सिंघल R.J.S/ श्रीमती प्रीति सिंह, R.J.S/ श्रीमती रेनु शकीत, आर.जे.एस.
- जिला पुलिस अधीक्षक/जिला जेल /पुलिस कन्ट्रोल रूम, धौलपुर।
- कम्प्यूटर सर्वर रूम धौलपुर को अपलोड करने हेतु।
- आदेश पत्रावली।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)